

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर।

दिनांक:- 18 / 11 / 2020

Manager (PNG),
Indraprastha Gas Ltd.
IGL Bhawan, Plot No.4,
Community center, R.K. Puram, Sector-9,
New Delhi-110022

Permission for laying MDPE and Carbon Steel 3.000 km x12" Pipeline from, Khatauli
(From NH-58 Ch 6.200 to 9.200) Open Cut HDD/Trenchless Method.

आपका पत्रांक IGL/PNG/STEEL/18 Date 11.08.2020

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि एच0डी0डी0 पद्धति द्वारा रोड कटिंग चार्ज के रूप में कुल रू0 25,29,080.00 मात्र डी0डी0 सं0 027405 दिनांक 23.09.2020 के द्वारा जमा की गयी धनराशि के उपरान्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है।

- खुदाई का कार्य प्रस्तुत किये गये पत्र तथा ड्राईंग के अनुरूप अवगत करायी गयी दूरी अथवा लेपित सतह के गड्ढे से 14.00 मी0 छोड़ने के उपरान्त ही खुदाई का कार्य कराया जाये।
- खुदाई के कार्य हेतु एकत्रित की गयी सामग्री मार्ग पर नहीं रखी जायेगी एवं मार्ग की लेपित सतह को भी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए। कार्य समाप्त होने के बाद अवशेष सामग्री तत्काल कार्यस्थल से हटा जाये।
- कार्य से यातायात किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होना चाहिए।
- कार्य से मार्ग के किनारे खड़े हुये पेड़ों को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं होनी चाहिए।
- नाली, नाला इत्यादि के लिए अपने खर्च पर रेलिंग अथवा पैरापिट से बाहर की ओर सर्पेट ट्रेकेट लगा ड्रिफ्टिंग का कार्य कराना होगा।
- ड्रिफ्टिंग से भूमिगत विद्युत लाईन, पेय जल आपूर्ति लाईन, गैस लाईन अथवा किसी अन्य कम्पनी का ऑफ0सी0 केबिल व सीवरेज को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो उसकी पूर्ण क्षतिपूर्ति आपकी/कम्पनी की होगी।
- खुदान के समय बैरिकेडिंग, आपात रोशनी व्यवस्था तथा चेतावनी बोर्ड आदि का प्राविधान आपकी/कम्पनी को अपने व्यय पर करना होगा।
- यदि खुदाई कार्य के लिए ट्रैफिक ड्राईवर्जन की आवश्यकता होगी तो इस हेतु आपको/कम्पनी को अपने व्यय पर समस्त कार्यवाही करनी होगी।
- आवश्यकता के अनुरूप वन विभाग व मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण से अनुमति अपने स्तर पर लानी होगी।
- आपके राउक व पटरी पर किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसको ठीक कराने की जिम्मेदारी आपकी/कम्पनी की होगी।
- उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न होने की दशा में, उपरोक्तानुसार दी गयी अनुमति को किसी भी समय रद्द करने का सर्वाधिकार विभाग का होगा।

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,

मुजफ्फरनगर।

दिनांक:- / / 2020

दिनांक / 26सी0

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता तृतीय, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अवर अभियन्ता (प्रा0), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

31.05.2021
SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9, New Delhi-110022

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर।

दिनांक:- 18 / 11 / 2020

Manager (PNG),
Indraprastha Gas Ltd.
IGL Bhawan, Plot No.4,
Community center, R.K. Puram, Sector-9,
New Delhi-110022

विषय:-

Permission for laying MDPE and Carbon Steel 6.200 km x12" Pipeline from, Khatauli
(From NH-58 Ch 0.000 to 6.200) Open Cut HDD/Trenchless Method.

सन्दर्भ:-

आपका पत्रांक IGL/PNG/STEEL/18 Date 11.08.2020

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि एच0डी0डी0 पद्धति द्वारा रोड कटिट चार्ज के रूप में कुल रू0 36,17,200.00 मात्र डी0डी0 सं0 027404 दिनांक 23.09.2020 के द्वारा जमा की गयी धनराशि के उपरान्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है।

- खुदाई का कार्य प्रस्तुत किये गये पत्र तथा ड्राईंग के अनुरूप अवगत करायी गयी दूरी अथवा लेपित सतह के मध्य से 14.00 मी0 छोड़ने के उपरान्त ही खुदाई का कार्य कराया जाये एवं खतौली आवादी भाग में लेपित सतह के मध्य से 10.00 मी0 छोड़ने के उपरान्त ही खुदाई का कार्य कराया जाये।
- खुदाई के कार्य हेतु एकत्रित की गयी सामग्री मार्ग पर नहीं रखी जायेगी एवं मार्ग की लेपित सतह को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए। कार्य समाप्त होने के बाद अवशेष सामग्री तत्काल कार्यस्थल से हटा दी जाये।
- कार्य से यातायात किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होना चाहिए।
- कार्य से मार्ग के किनारे खड़े हुये पेड़ों को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं होनी चाहिए।
- नाली, नाला इत्यादि के लिए अपने खर्च पर रेलिंग अथवा पैरापिट से बाहर की ओर सर्पोट ब्रैकेट लगाकर डिवेटींग का कार्य कराना होगा।
- डिवेटींग से भूमिगत विद्युत लाईन, पेय जल आपूर्ति लाईन, गैस लाईन अथवा किसी अन्य कम्पनी के ओ0एफ0सी0 केविल व सीवरेज को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी/कम्पनी की होगी।
- खुदान के समय बैरिकेटींग, आपात रोशनी व्यवस्था तथा चेतावनी बोर्ड आदि का प्राविधान आपको/कम्पनी को अपने व्यय पर करना होगा।
- यदि खुदाई कार्य के लिए ट्रैफिक ड्राईवर्जन की आवश्यकता होगी तो इस हेतु आपको/कम्पनी को अपने व्यय पर समस्त कार्यवाही करनी होगी।
- आवश्यकता के अनुरूप वन विभाग व मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण से अनुमति अपने स्तर पर लेनी होगी।
- आपके सड़क व पटरी पर किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसको ठीक कराने की जिम्मेदारी आपकी/कम्पनी की होगी।
- उपरोक्त शर्तों का अनुपालन न होने की दशा में, उपरोक्तानुसार दी गयी अनुमति को किसी भी समय निरस्त करने का सर्वाधिकार विभाग का होगा।

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
मुजफ्फरनगर।

दिनांक:- 18 / 11 / 2020

अधिशासी अभियन्ता

प्रमाणित

/26सी0

प्रमाणित अभियन्ता तृतीय, प्रा0ख0, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमाणित अभियन्ता (प्रा0), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

SOMIL GARG

Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited

IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9, New Delhi-110022